

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 103/2025

उन्वान - शिवकुमार शर्मा पुत्र लालचंद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी अजीतपुरा

GCMS NO- 2025/198

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार


अधिवक्ता प्रार्थी - रामनरेशसिंह सैनी

आदेश

निर्णय दिनांक 19.08.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड (लालचंद), आधार कार्ड (शिवकुमार), मृत्यु प्रमाण पत्र (बिमला देवी), एवं प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सं. 2029-2032 ग्राम अजीतपुरा व प्रतिलिपि जमाबंदी सं. 207376 खाता सं. 26 व 18 ग्राम अजीतपुरा, मृत्यु प्रमाण पत्र (लालचंद), शपथ पत्र स्वयं प्रार्थी, धर्मपाल पुत्र प्रहलाद के आधार पत्र तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भूअ./1271 दिनांक 25.05.2025 के साथ सलंगन रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अजीतपुरा की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 18 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते ह। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	अजीतपुरा	खाता संख्या 18 के खसरा नम्बर 130, 131, 132 किता 3 कुल रकबा 1.98 है. खाता	बिमला पत्नी भानीसहाय	बिमला पत्नी कैलाश
			लालचंद पुत्री भानीसहाय	लालचंद पुत्र भानीसहाय



(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलस्टर खेतड़ी, जिला झुंझुनू

दिनांक :- 19.08.2025

क्रमांक :- राजस्व/2015/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी शिवकुमार शर्मा पुत्र लालचंद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी अजीतपुरा को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलस्टर खेतड़ी, जिला झुंझुनू